

राजस्थान सरकार
चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.1(71)एमई/ग्रुप-1/1986

जयपुर, दिनांक


18 JAN 2019

--: आदेश :-

डॉ० अरुण अन्नपा चौगुले, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, रेडियोलोजिकल फिजिक्स, मेडिकल कॉलेज, जयपुर (जन्म तिथि 11.02.1959) को अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर दिनांक 28.02.2019 (मध्याह्न पश्चात) से राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित डॉ० अरुण अन्नपा चौगुले, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, रेडियोलोजिकल फिजिक्स, मेडिकल कॉलेज, जयपुर के विरुद्ध आज तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

आज्ञा से

(मोहन लाल वर्मा)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग।
2. प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
3. निदेशक, पेशन एवं पेशनर्स कल्याण विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग, जयपुर।
5. डॉ० अरुण अन्नपा चौगुले, आचार्य एवं विभागाध्यक्ष, रेडियोलोजिकल फिजिक्स, मार्फत प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


शासन उप सचिव